संख्या- 12/2020/ 748/53-2-20-2(119)/15

प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी / उप दुग्धशाला विकास अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी ।
आगरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज(इलाहाबाद), प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या (फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, बहराईच, गोण्डा।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 31अगस्त, 2020**

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के पत्रांक-181/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ी0-सामान्य/2020-21, दिनांक- 25 अगस्त,2020 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 20120-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020 /बी-1-149/दस- 2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित व्यवस्थानुसार 1/6 अर्थात रू0833.254लाख (रू0 आठ करोड़ तैंतीस लाख पच्चीस हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल **संलग्नक** के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/ डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में किया जायेगा । किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा ।

(3) संबंधित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेगें ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ /समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(5) परिव्यय की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा। उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी।

(6) स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग दुग्ध व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय/ उपयोग नही किया जायेगा ।

(7) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपभोग सुनिश्चित कराते हुए इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को द्वितीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा ।

....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(9) स्वीकृति की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(11) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(12) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020 /बी-1-149/दस- 2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक- ''2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-04-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला-योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक- 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-12/2020/748(1)/53-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

.....3/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
13- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
14- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
15- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा स,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-**12/2020/748/53-2-2020**, दिनांक 31अगस्त, 2020 का संलग्नक

वर्तमानं दुग्ध संघो क सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करन की योजना जिला योजना (सामान्य)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र	जनपद	आहरण वितरण अधिकारी/ निवर्तन अधिकारी का पदनाम	दुग्ध संघो/समितियों क सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन व विस्तार(सामान्य)							
			स्वीकृत मदें							
			समिति गठन		समिति पुनर्गठन		यातायात अनुदान	कार्यशील पूंजी (दुग्ध मूल्य भुगतान)	प्रबन्धकीय अनुदान	कुल धनराशि
			लक्ष्य (सं0)	धनराशि	लक्ष्य (सं0)	धनराशि				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	आगरा	दु0विअ0 आगरा	0	0.000	1	0.144	0.630	10.080	1.890	12.744
2	मैनपुरी	उप दु0विअ0 मैनपुरी	1	0.690	1	0.144	0.070	1.130	0.210	2.244
3	मथुरा	दु0विअ0 आगरा	0	0.000	1	0.144	1.250	19.950	3.740	25.084
4	फिरोजाबाद	-तदैव-	1	0.690	2	0.288	0.390	6.340	1.190	8.898
आगरा मण्डल			**2**	**1.380**	**5**	**0.720**	**2.340**	**37.500**	**7.030**	**48.970**
5	अलीगढ़	दु0विअ0 आगरा	0	0.000	1	0.144	0.820	13.170	2.470	16.604
6	हाथरस	-तदैव-	1	0.690	0	0.000	0.180	2.910	0.550	4.330
7	एटा	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.150	2.450	0.460	3.060
8	कासगंज	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.150	2.400	0.450	3.144
अलीगढ़ मण्डल			**1**	**0.690**	**2**	**0.288**	**1.300**	**20.930**	**3.930**	**27.138**
9	झांसी	उप दु0विअ0 झांसी	0	0.000	0	0.000	0.350	5.540	1.040	6.930
10	ललितपुर	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.330	5.310	1.000	6.640
11	जालौन(उरई)	उप दु0विअ0 जालौन (उरई)	0	0.000	1	0.144	0.090	1.410	0.260	1.904
झांसी मण्डल			**0**	**0.000**	**1**	**0.144**	**0.770**	**12.260**	**2.300**	**15.474**
12	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	0	0.000	0	0.000	0.060	1.040	0.200	1.300
13	महोबा	उप दु0वि0अ0 महोबा	0	0.000	0	0.000	0.010	0.110	0.020	0.140
14	बांदा	उप दु0वि0अ0 बांदा	0	0.000	0	0.000	0.060	1.000	0.190	1.250
15	चित्रकूट(कर्बी)	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.530	8.470	1.590	10.590
चित्रकूट धाम मण्डल			**0**	**0.000**	**0**	**0.000**	**0.660**	**10.620**	**2.000**	**13.280**
16	लखनऊ	दु0विअ0 लखनऊ	1	0.690	1	0.144	4.100	65.710	12.320	82.964
17	रायबरेली	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.360	5.810	1.090	7.404
18	हरदोई	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.200	3.220	0.600	4.854
19	उन्नाव	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.360	5.700	1.070	7.274
20	सीतापुर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.640	10.260	1.920	12.964
21	लखीमपुर-खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपुर-खीरी	0	0.000	2	0.288	0.680	10.830	2.030	13.828
लखनऊ मण्डल			**2**	**1.380**	**7**	**1.008**	**6.340**	**101.530**	**19.030**	**129.288**
22	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	0	0.000	1	0.144	1.110	17.760	3.330	22.344
23	बदांयू	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	1.430	22.830	4.280	29.374
24	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0 पीलीभीत	0	0.000	1	0.144	0.070	1.130	0.210	1.554
25	शाहजहांपुर	उप दु0वि0अ0 शाहजहांपुर	1	0.690	1	0.144	0.610	9.730	1.830	13.004
बरेली मण्डल			**2**	**1.380**	**4**	**0.576**	**3.220**	**51.450**	**9.650**	**66.276**
26	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	0	0.000	1	0.144	5.330	85.260	15.990	106.724
27	बागपत	-तदैव-	1	0.690		0.000	0.530	8.440	1.580	11.240
28	गाजियाबाद	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.300	4.880	0.920	6.100
29	हापुड़	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.080	1.350	0.250	1.824
30	गौतमबुद्धनगर (नोएडा)	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.430	6.830	1.280	8.540

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

31	बुलन्दशहर	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	1.110	17.770	3.330	23.044
मेरठ मण्डल			**2**	**1.380**	**3**	**0.432**	**7.780**	**124.530**	**23.350**	**157.472**
32	सहारनपुर	दु0वि0अ0 मेरठ	0	0.000	1	0.144	0.460	7.390	1.390	9.384
33	मुजफ्फरनगर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.430	7.000	1.310	8.884
34	शामली	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.080	1.160	0.220	2.294
सहारनपुर मण्डल			**1**	**0.690**	**3**	**0.432**	**0.970**	**15.550**	**2.920**	**20.562**
35	मुरादाबाद	उप दु0विअ0 रामपुर	0	0.000	1	0.144	1.130	18.080	3.390	22.744
36	सम्भल	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.540	8.570	1.610	10.864
37	अमरोहा	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.390	6.210	1.160	8.594
38	रामपुर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.140	2.260	0.420	2.964
39	बिजनौर	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.530	8.480	1.590	11.434
मुरादाबाद मण्डल			**2**	**1.380**	**5**	**0.720**	**2.730**	**43.600**	**8.170**	**56.600**
40	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	0	0.000	0	0.000	1.180	18.990	3.560	23.730
41	चन्दौली	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.440	7.130	1.340	9.054
42	गाजीपुर	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.110	1.830	0.340	3.114
43	जौनपुर	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.180	2.860	0.540	4.414
वाराणसी मण्डल			**2**	**1.380**	**3**	**0.432**	**1.910**	**30.810**	**5.780**	**40.312**
44	सन्तरविदासनगर	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	0	0.000	0	0.000	0.140	2.240	0.420	2.800
45	मिर्जापुर	उप दु0वि0अ0मिर्जापुर	1	0.690	1	0.144	0.690	10.930	2.050	14.504
46	सोनभद्र	उप दु0वि0अ0 सोनभद्र	0	0.000	0	0.000	0.070	1.090	0.200	1.360
विन्ध्यांचल मण्डल			**1**	**0.690**	**1**	**0.144**	**0.900**	**14.260**	**2.670**	**18.664**
47	गोरखपुर	उप दु0वि0अ0 गोरखपुर	0	0.000	0	0.000	1.300	20.770	3.890	25.960
48	महराजगंज	उप दु0वि0अ0 महराजगंज	0	0.000	1	0.144	0.030	0.510	0.100	0.784
49	देवरिया	उप दु0वि0अ0 देवरिया	1	0.690	0	0.000	0.160	2.560	0.480	3.890
50	कुशीनगर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.040	0.560	0.100	0.844
गोरखपुर मण्डल			**1**	**0.690**	**2**	**0.288**	**1.530**	**24.400**	**4.570**	**31.478**
51	बस्ती	उप दु0वि0अ0 बस्ती	1	0.690	1	0.144	1.080	17.250	3.240	22.404
52	संतकबीरनगर	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.040	0.590	0.110	0.740
53	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0सिद्धार्थनगर	0	0.000	1	0.144	0.020	0.220	0.040	0.424
बस्ती मण्डल			**1**	**0.690**	**2**	**0.288**	**1.140**	**18.060**	**3.390**	**23.568**
54	आजमगढ़	उप दु0वि0अ0 आजमगढ़	1	0.690	0	0.000	0.990	15.880	2.980	20.540
55	मऊ	उप दु0वि0अ0 मऊ	0	0.000	0	0.000	0.010	0.090	0.020	0.120
56	बलिया	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.230	3.740	0.700	4.814
आजमगढ़ मण्डल			**1**	**0.690**	**1**	**0.144**	**1.230**	**19.710**	**3.700**	**25.474**
57	प्रयागराज	दु0वि0अ0 प्रयागराज (इलाहाबाद)	1	0.690	1	0.144	1.030	16.520	3.100	21.484
58	कौशाम्बी	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.100	1.570	0.300	2.114
59	फतेहपुर	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.290	4.600	0.860	6.584
60	प्रतापगढ़	उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़	0	0.000	1	0.144	0.130	2.070	0.390	2.734
प्रयागराज मण्डल			**2**	**1.380**	**4**	**0.576**	**1.550**	**24.760**	**4.650**	**32.916**
61	कानपुर नगर	उप दु0वि0अ0 कानपुर	0	0.000	0	0.000	0.590	9.460	1.770	11.820
62	कानपुर देहात	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.120	1.890	0.350	2.360
63	फर्रूखाबाद	-तदैव-	1	0.690	0	0.000	0.230	3.620	0.680	5.220
64	कन्नौज	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.280	4.550	0.850	5.824

.....3/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

65	औरैया	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.040	0.640	0.120	0.800
66	इटावा	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.070	1.180	0.220	1.614
कानपुर मण्डल			**1**	**0.690**	**2**	**0.288**	**1.330**	**21.340**	**3.990**	**27.638**
67	अयोध्या	उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद)	1	0.690	1	0.144	1.030	16.390	3.070	21.324
68	अम्बेडकरनगर	उप दु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर	0	0.000	1	0.144	0.580	9.280	1.740	11.744
69	सुल्तानपुर	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.230	3.670	0.690	5.424
70	अमेठी	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.230	3.670	0.690	4.734
71	बाराबंकी	उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद)	1	0.690	2	0.288	0.810	12.900	2.420	17.108
अयोध्या मण्डल			**3**	**2.070**	**6**	**0.864**	**2.880**	**45.910**	**8.610**	**60.334**
72	गोण्डा	उप दु0वि0अ0 गोण्डा	1	0.690	2	0.288	0.800	12.870	2.410	17.058
73	बलरामपुर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.090	1.460	0.270	1.964
74	श्रावस्ती	उप दु0वि0अ0 बहराइच	1	0.690	1	0.144	0.050	0.720	0.130	1.734
75	बहराइच	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.840	13.530	2.540	17.054
दक्षीपाटन मण्डल			**2**	**1.380**	**5**	0.720	**1.780**	**28.580**	**5.350**	**37.810**
	कुल योग		**26**	**17.940**	**56**	**8.064**	**40.360**	**645.800**	**121.090**	**833.254**

(रू0 आठ करोड़ तैंतीस लाख पच्चीस हजार चार सौ मात्र)

(शैलद्रि नाथ शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।